दक्षिण मध्य रेलवे

संरक्षा.387/फ्लाई लीफ सं. /03/2024

फ्लाई लीफ सं. 03 / 2024

सर्व संबंधित ..... ध्यान दें

*****

वाहन/भार/गाड़ी/इंजनों को सुरक्षित करना

रेल परिचालनों में आपात स्थिति के दौरान स्टेशन यार्डों और ब्लॉक सेक्शन में गाड़ियों को बार-बार खड़ा करने और सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है. सुरक्षित परिचालन के लिए इन गाड़ियों/लाइट इंजनों/वैगनों आदि को ठीक तरह से खड़ा करने और संरक्षित करना बहुत आवश्यक है.

ठीक तरह से खड़ा और सुरक्षित न करने के कारण रोल डाउन के कई मामले हुए हैं और कुछ भार/वाहन (वाहनों) के लुढ़क जाने के परिणामस्वरूप डिरेलमेंट और गाड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं.

हाल ही में ऐसी ही एक घटना 25.02.2024 को हुई, कथुआ (केटीयू) स्टेशन पर एल-3 से पठानकोट कैंट (पीटीकेसी) की ओर 53 बीओबीवाईएन वैगनों का एक गिट्टी डीएमटी लोड लुढ़कने लगा और यह लगभग 73 किलोमीटर तक चलने के बाद इसे उंची बस्सी (यूसीबी) स्टेशन पर रोका जा सका. यह घटना संरक्षा की दृष्टि से बहुत गंभीर थी क्योंकि उन्होंने शॉर्टकट और गलत स्टेबलिंग प्रक्रियाओं को अपनाया था, परिणामस्वरूप बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और लोगों के जान व संपत्ति दोनों को नुकसान हो सकता था.

पूर्व में बोर्ड कार्यालय के दिनांक 24-02-2012 और 04-12-2018 के समसंख्यक पत्र के अंतर्गत अनुदेश जारी किए जा चुके हैं, जो स्टेशनों पर भार/ गाड़ियों को खड़ा करने और वाहनों/ गाड़ियों/इंजनों को सुरक्षित करने के साथ-साथ ब्लॉक सेक्शन में फंसी गाड़ियों की

सुरक्षा के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में हैं और उन्हें निम्नानुसार दोहराया गया है :-

ऐसी घटनाओं के मुख्य कारण हैं

1. हैंड ब्रेक नहीं लगाना

2. लकड़ी के वेज/स्किड नहीं रखना

3. सवमाडि/गाड़ी परीक्षण कर्मचारी पूरे रेक के ब्रेक रिलीज करना

स्टेशनों पर और ब्लॉक सेक्शन में वाहन / भार / गाड़ियों/ इंजनों को खड़ा करना और सुरक्षित करना.

1. स्टेशन पर वाहन/भार/गाड़ियों को खड़ा करते समय स्टेशन मास्टर/यातायात स्टाफ द्वारा की जाने वाली कार्रवाई:-

(ए) वाहन / भार / गाड़ियों को दोनों छोर पर एक-एक जंजीर का उपयोग करते हुए **कम से कम** दो जंजीरों से बांधा जाता है और पैडलॉक किया जाता है.

(बी) **कम से कम** चार स्किड/स्प्रैग/लकड़ी के वेज का उपयोग किया जाए, दोनों छोर पर पहियों की बाह्यतम जोड़ी के नीचे दो-दो.

(सी) दोनों ओर से कम से कम 6 (छह) प्रभावी वैगनों के हैंड ब्रेक पूरी तरह से कड़े होने चाहिए.

(डी) यदि कोचिंग वाहन खड़ा किए जाते हैं तो एसएलआर (एस) में गाड़ी प्रबंधक (गार्ड) के हैंड ब्रेक अवश्य लगाए जाए.

(ई) हैंड ब्रेक को गाड़ी प्रबंधक (गार्ड) के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में और गाड़ी प्रबंधक (गार्ड) की अनुपस्थिति में ड्यूटी पर तैनात एसएम द्वारा अनिवार्य रूप से चलाया जाए.

(एफ) स्थिर भार/गाड़ी के वाहनों को एक साथ जोड़ा जाए. यदि स्थिर भार को किसी कारण से विभाजित किया जाना है, तो ऐसे प्रत्येक विभाजित भाग को सुरक्षित करने के लिए अलग भार माना जाए.

(जी) पाइंटों को अवरुद्ध लाइन के लिए और डेड एंड या ट्रैप पाइंट (यदि उपलब्ध हो) की ओर सेट, क्लैंप और पैडलॉक किया जाए. यदि उपलब्ध हो तो स्कॉच ब्लॉक का उपयोग किया जाना चाहिए।

(एच) पैनल के मामले में संबंधित सिगनल और पॉइंट नॉब/बटन/स्लाइड/लीवर पर लाइन ब्लॉक कैप/ स्टॉप कॉलर रखा जाए और वीडीयू पर संबंधित लाइन/आइकन को अवरुद्ध किया जाए;

(आई) टीएसआर में और एसएम की डायरी में लाल स्याही से इस आशय की टिप्पणियां की जाए कि लाइन नं. _ _ _ अवरुद्ध है और भार को सुरक्षित करने के लिए सभी सावधानियां बरती गई हैं.

(जे) किसी भी भार/गाड़ी/इंजन को खड़ा करने के बाद, स्टेशन मास्टर एक प्राइवेट नंबर के समर्थन से सेक्शन नियंत्रक को सूचित करेगा कि लोड/गाड़ी/ इंजन को खड़ा और सुरक्षित करने के लिए निर्धारित सभी सावधानियां बरती गई हैं

2. 400 में 1 या कड़ी ढलान वाले स्टेशन पर वाहन (वाहनों)/भारों/ट्रेनों को खड़ा करते समय अतिरिक्त सावधानियां बरती जाए, जो अनुमोदित विशेष अनुदेशों (सीआरएस द्वारा) के तहत निर्धारित की गई हो और संबंधित स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम में उल्लिखित हों. इनका कड़ाई से पालन किया जाए.

उपरोक्त के अलावा, अनुमोदित विशेष अनुदेशों के तहत निर्धारित अनुदेशों के अलावा निम्नलिखित सावधानियों का भी पालन किया जाए.

(a) वाहनों को अलग करने से पहले, हैंड ब्रेक लगाए जाए, वाहनों को लुढ़कने से रोकने के लिए स्प्रैग/लकड़ी के वेज/स्किड का भी उपयोग किया जाए.

(b) जहां तक संभव हो, वाहन/भार/गाड़ियों को ऐसे लाइन पर खड़ा किया जाए जो अन्य लाइन, विशेष रूप से रनिंग लाइनों से अलग हो.

3. इंजन या लाइट इंजन संलग्न/ बंद या खड़ा किए जाने की स्थिति में इंजन छोड़ने से पहले लोको पायलट/ सहायक लोको पायलट द्वारा की जाने वाली कार्रवाई.

(ए) एसए -9 और ए -9 दोनों ब्रेक लगाना,
(बी) हैंड ब्रेक और पार्किंग ब्रेक लगाना,
(सी) इंजन में उपलब्ध लकड़ी के वेज से सुरक्षित करना

4. (i) लोको पायलट को ड्यूटी के दौरान इंजन नहीं छोड़ना होगा. यदि इंजन को छोड़ना जरूरी हो, तो स्टेशन मास्टर/यार्ड मास्टर से लिखित प्राधिकार प्राप्त करने और उपर्युक्त 3(ए) (बी) और (सी) सुनिश्चित करने के बाद ही उसे ऐसा करना होगा.

(ii) स्टेशन/यार्ड छोड़ने से पहले, लोको पायलट और गाड़ी प्रबंधक (गार्ड) को संयुक्त रूप से स्टेशन मेटर के रजिस्टर में रिकॉर्ड और हस्ताक्षर करना चाहिए कि लोड और इंजन को ऊपर निर्धारित अनुसार सुरक्षित किया गया है.

(iii) यदि इंजन को फॉर्मेशन के साथ खड़ा नहीं किया जाता है, तो केवल गाड़ी प्रबंधक (गार्ड) को खड़ा भार रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होगा.

5. दुर्घटना, खराबी, अवरोध या किसी अन्य कारण से ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी रुक जाने पर लोको पायलट/सहायक लोको पायलट और गाड़ी प्रबंधक (गार्ड) द्वारा की जाने वाली कार्रवाई: - (*सा व स.नि 6.03 और 6.04 के साथ पढ़ा जाए*).

(a) लोको पायलट/सहायक लोको पायलट और गाड़ी प्रबंधक (गार्ड) को सा व स.नि 6.03 के प्रावधानों के अनुसार गाड़ी की रक्षा करना होगा.

(b) गाड़ी के दोनों छोरों पर प्रभावी लोको ब्रेक (एसए-9, ए-9 और हैंड ब्रेक) और कम से कम 6 (छह) के हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी की रक्षा की जाए और ग्रेडिएंट की दिशा में लकड़ी के वेज लगाए जाए.

(c) सहायक लोको पायलट द्वारा लीडिंग छोर से और गाड़ी प्रबंधक (गार्ड) द्वारा रिअर एंड की ओर से हैंड ब्रेक लगाए जाए.

(d) यदि गाड़ी प्रबंधक (गार्ड) के बिना गाड़ी चलाई जा रही है तो गाड़ी प्रबंधक (गार्ड) की ड्यूटी लोको पायलट अथवा उसके द्वारा प्रतिनियुक्त रेल कर्मचारी को अंतरित की जाए. लोको पायलट यदि किसी कारण से असमर्थ हो तो , लोको पायलट को सौंपे जाने वाली ड्यूटी गाड़ी प्रबंधक (गार्ड) अथवा उसके द्वारा प्रतिनियुक्त रेल कर्मचारी को अंतरित की जाए.

(e) कोचिंग गाड़ियों के मामले में, लोको पायलट द्वारा लोको ब्रेक लगाने के अलावा गाड़ी प्रबंधक (गार्ड) द्वारा एसएलआर के हैंड ब्रेक लगाए जाए.

6. स्टेशन स्टाफ, गाड़ी प्रबंधक (गार्ड), कर्मीदल और सेक्शन कंट्रोलर स्टेशनों/ यार्डों / साइडिंग्स और ब्लॉक सेक्शनों के ग्रेडिएंटों से अवगत हो.
7. संबंधित पर्यवेक्षकों द्वारा इस संबंध में बार-बार परामर्श दी जाए.
8. रेलवे द्वारा स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में स्वीकृत डिजाइन के स्प्रैग और चेन और इंजनों पर स्किड/लकड़ी के वेज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.

***

प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी

संरक्षा संगठन **दक्षिण मध्य रेलवे**